

राज्य के बाहर उपचार कराने की अनुमति का अधिकार संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 को देने बाबत

म0प्र0 वेतन आयोग, 1981 (चौधरी वेतन आयोग) के प्रतिवेदन में अनुशंसा है कि ऐसे मामलों में जिसमें चिकित्सा परिचारक की यह राय हो कि मामला में विरोधीभूत उपचार की आवश्यकता है, जो उस चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है जिससे वह सम्बंधित है, तो उसे वह मामला सिविल सर्जन को निर्दिष्ट करना चाहिये। सिविल सर्जन इससे संतुष्ट होने पर मामला क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय को निर्दिष्ट करेगा। यदि चिकित्सा महाविद्यालयों में उस विशिष्ट उपचार का प्रभारी आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोगी को जिस स्तर के उपचार की आवश्यकता है वह उसके चिकित्सा महाविद्यालय में या राज्य के किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो उसे वह मामला चिकित्सा शिक्षा संचालक को निर्दिष्ट करना चाहिये। संचालक चिकित्सा शिक्षा को राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी रहती ही है। यदि उसका समाधान हो जाये कि रोगी को राज्य के बाहर के चिकित्सालय में भेजना आवश्यक है तो उसे राज्य के बाहर स्थित किसी चिकित्सालय में उपलब्ध कराने की अनुमति देने का अधिकार होना चाहिये।

राज्य शासन ने चौधरी वेतन आयोग की उपर्युक्त अनुशंसा पर विचार कर निर्णय लिया है कि किसी शासकीय सेवक अथवा उसका अभिन्न किसी व्यक्ति के रोग के उपचार अथवा जांच की व्यवस्था राज्य के चिकित्सालयों में नहीं होने पर उपर्युक्त अनुशंसा में निहित प्रणाली का सामान्यतः अनुसरण करने के उपरान्त यदि संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 उक्त रोग का उपचार अथवा जांच राज्य के बाहर परन्तु देश में कराये जाने की आवश्यकता समझते हैं तो ऐसे उपचार या जांच के लिये अनुमति प्रदान करने का अधिकारी प्रदत्त किया जाता है। संचालक चिकित्सा शिक्षा ऐसे प्रकरणों में आवश्यकता अनुसार परिचारक को भी साथ में ले जाने की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

इस प्रकार दी गई स्वीकृति के अन्तर्गत निम्नानुसार ध्य की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी :-

(क) रोगी एवं जहां आवश्यक हो परिचारक को उस श्रेणी का रेल/बस किराया जिसकी शासकीय सेवक को नियमानुसार पात्रता हो अथवा उस निचली श्रेणी का वास्तविक रेल/बस किराया जिसमें यात्रा की गई हो।

(ख) चिकित्सकीय उपचार पर हुये ध्य की प्रतिपूर्ति उस सीमा तक होगी जिस सीमा तक राज्य के शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने पर म0प्र0 सिविल सर्विसेस (मेडिकल अटैण्डेंट) रुल्स, 1958 के प्रावधानों के अधीन देय है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1958/R-II/F-4-83 दिनांक 26.10.1983 द्वारा महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को वृद्धांकित की गई है।

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 2526/4915/17/मेडि-4 दिनांक 30.09.1985)

भारतीय वाहन
विक्रय विद्या विभाग
भारत

क्रमांक एच-6-23/2013/2/एचएन

प्रमाण, दिनांक 29/05/2013

प्रति

- 1- वाहन के कर्ता विभाग।
- 2- एचएन विभाग, भारत।
- 3- अप्रत, कर्ता मन्त्र, भारत।
- 4- एचएन अर्थव्यय आयुक्त, भारत।
- 5- एचएन विभाग, भारत।

विषय - वाहन कर्ता अधिकारी/ कर्तारियों एवं उन पर आवेष्टित परिवार के सदस्यों के वाहन विधि विधिकरण संस्थानों में उपचार करने की अनुमति/ कार्यालय स्वीकृति हेतु संयुक्त स्तर पर अधिकारों का विकेंद्रिकरण।

वाहन कर्ता के वाहन विधि अधिकार विधिकरण संस्थानों में उपचार हेतु अधिकार, विधिकरण अधिकारिता स्तर पर मरिचिक संस्था कर्तारों की अनुमति के उपरोक्त संयुक्त, विधिकरण विधि कर्ता उपचार करने की स्वीकृति जारी की जाती है साथ संबंधित विधिकरण संस्था के स्टीपेट कर्ता होने पर विधिकरण विधि कर्ता द्वारा विधिकरणों के निम्न निर्धारित अधिकारों/ संयुक्त स्टीपेट में जो एम डी का 50 प्रतिशत अधिक स्वीकृति की अनुमति संयुक्त, विधिकरण विधि कर्ता को जारी है। एम डी हेतु अधिकार विधिकरण विधिकरण संस्था को अधिकृत किया जाता है। अधिकार विधिकरण अधिकारिता देते कर्तारों का अधिकार उनकी अधिकारता में पूर्ण से मरिचिक संस्था के कर्ता कर्तारों पर उपरोक्त वध जारी करने, विधिकरण विधिकरण विधिकरण विधिकरण विधिकरण अधिकारिता/ कर्तारों को देते। साथ ही अधिकार कर्ता संयुक्त, विधिकरण संस्था के स्टीपेट कर्ता होने पर अधिकार विधिकरण कर्ता द्वारा विधिकरणों के निम्न निर्धारित अधिकारों/ संयुक्त स्टीपेट में जो एम डी का 50 प्रतिशत अधिक स्वीकृति की अनुमति, अधिकारिता, विधिकरण अधिकारिता जारी करना।

/- कर्ता स्वीकृति संयुक्त प्रमाण जो अधिकार द्वारा प्रमाण करने पर कर्ता संबंधित अधिकारिता अधिकारी/ एचएन विभाग/ विधिकरण संस्था के वाहन में संयुक्त, विधिकरण

2

पिनकोड 3/-

मध्य प्रदेश शासन
शिक्षा विभाग
संचालक

भोपाल, दिनांक 14.05.2004

क्रमांक 18-58/2000/1/पचपन

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष मध्य प्रदेश
4. समस्त संमार्गीय आयुक्त, मध्य प्रदेश
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश

विषय- राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य के बाहर केन्द्र शासन के शासकीय/अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति।

राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के चिकित्सालयों में उपचार करने पर निम्नलिखित सीमारिषों के लिये उनके सन्मुख दर्शाई गई सीमा तक या वार्षिक व्यय जो भी कम हो, की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. एंजियोप्लास्ती	रुपये 15,000/-
2. हृदयरोग (सर्जरी)	रुपये 2,50,000/-
3. किडनी प्रस्थापन	रुपये 4,00,000/-
4. यूरोलॉजी/न्यूरोलॉजी	रुपये 3,00,000/-
5. कैंसर रोग	रुपये 4,00,000/-
6. कांकनीयर इन्फ्लान्ट	रुपये 6,20,000/-
7. लीवर ट्रांसप्लांट/हिप रिप्लेसमेंट (हड्डीरोग)	रुपये 4,00,000/-

उपचार में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा स्वयं बहन की जायेगी। उपचार हेतु संचालक, शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पूर्ण अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह सीमायें आदेश जारी होने के दिनांक के उपरान्त हुये इलाज हेतु लागू होंगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 587/04/वि/चार दिनांक 08.05.2004 के अनुसार जारी की जा रही है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ताक्षर
(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 18-58/2000/1/पचपन जोषास, दिनांक 14.06.2005 द्वारा निजी चिकित्सालयों में फिडेली प्रत्यारोपण को उपचार हेतु अधिकतम चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीमा प्रति रुपये 2,40,000/- निर्धारित की गई है। उपचार में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा स्वयं वहन की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 587/04/वि/अवर दिनांक 05.09.2004 के अनुसार जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ताक्षर
(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-4-23/2013/3/पचपन,

बीकान, दिनांक 11/02/2014

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
- 3- अध्यक्ष, राजस्व मन्डल, कालियर।
- 4- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :- राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्यान्वयन स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 28.05.2013.

=00=

राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्यान्वयन स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 28.05.2013 से किया गया है।

2/- शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-18-68/2000/1/पचपन, दिनांक 14.08.2015 से शासकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार तथा ग्राम्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु निम्नलिखित बीमारियों के लिये उनके सम्मुख बर्बाद गई सीमा तक या वार्षिक व्यय प्रो भी कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के चिकित्सालय

1.	एंजोप्लाफी	रुपये 15,000=00 (पन्द्रह हजार मात्र)
2.	हृदय रोग (सर्जरी)	रुपये 2,50,000=00 (दो लाख पचास हजार मात्र)
3.	किडनी प्रत्यारोपण	रुपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)
4.	न्यूरो सर्जरी/ न्यूरोलॉजी	रुपये 3,00,000=00 (तीन लाख मात्र)
5.	कैंसर रोग	रुपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)
6.	कार्डियोपर इम्प्लांट	रुपये 5,20,000=00 (पाँच लाख बीस हजार मात्र)
7.	लीवर ट्रांसप्लांट/ डिप रिसेसमेंट (हृदय रोग)	रुपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)

२६

1/2/1

मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय

1. चिकित्सीय प्रत्यारोपण	रुपय 2,40,000=00 (दो लाख चालीस हजार मात्र)
--------------------------	--

राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा अब राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के सम्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में भी लागू करता है। अतः संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित सम्योत्तर समिति उक्त निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा तक या वार्षिक व्यय जो भी कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
संथा आदेशानुसार

(एस.एस.कुमार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 11/02/2014

पु.छ.मांक एफ-4-23/2013/2/बचपन

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अधिकांश, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर एवं
रीवा, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/
जबलपुर/इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, वृत्त चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
6. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/
इन्दौर एवं रीवा, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संयलाक, स्वास्थ्य सेवार्थ, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/
इन्दौर/उज्जैन एवं रीवा, म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेषित।

(एस.एस.कुमार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

राज्य के बाहर उपचार हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी

चिकित्सालयों की सूची

क्रं.	चिकित्सालय का नाम	शहर का नाम	बीमारी का नाम	मान्यता अवधि
1.	ए.आई.आई.एम.एस. (एम्स)	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
2.	जी.बी.पन्त चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
3.	एल.एन.टी.पी. चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
4.	के.ई.एम. हास्पीटल	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
5.	जसलोक चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
6.	बी.वाय.एल. नायर चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
7.	टाटा मेमोरियल चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
8.	नानावटी चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
9.	पुण्डालिया कार्डियोथेरोसिक फाउण्डेशन	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
10.	अपोलो हास्पीटल	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
11.	शंकर नेत्रालय	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
12.	निजाम इंस्टीट्यूट	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
13.	यशोदा हास्पीटल	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
14.	बी.एच.यू. (बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी)	वाराणसी	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
15.	सी.एम.सी. (किश्चयन मेडिकल कालेज)	वेल्लोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
16.	एस.जी.पी.जी.आई.	लखनऊ	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
17.	साउथन रेल्वे चिकित्सालय	बरमपुर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार

18.	पी.जी.आई.	चण्डीगढ़	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
19.	श्रीचित्रा इंस्टीट्यूट	त्रिवेन्द्रम	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
20.	निम्हांस हास्पिटल	बैंगलोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
21.	अपोलो हास्पिटल	हैदराबाद	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बीएमवी एवं कार्डियोथेरोसिक सर्जरी, सीएबीजी, वाल्व रिप्लेसमेंट, कांगनीटल कार्डियक सर्जरी एण्ड वास्कुलर सर्जरीज	07.09.2017
22.	मेदान्ता द मेडिसिटी	गुड़गांव हरियाणा	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियक इन्टरवेंशन एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एण्ड मल्टीडिसी-प्लीनरी क्रिटिकल केयर	07.06.2017
23.	अरनेजा हार्ट इंस्टीट्यूट	नागपुर	हृदयरोग, कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजी इन्टरवेंशन बीएमवी/पीपीआई) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर	27.11.2017
24.	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी	नागपुर	हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी एवं समस्त कैंसर रोग की जांच एवं उपचार	19.01.2018
25.	क्रीसेंट हास्पिटल एण्ड हार्ट सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर एवं मल्टी डिस्सीप्लीनरी ट्रीटमेंट	18.08.2017
26.	वेलकेयर हास्पिटल सेंटर फार नी एण्ड हिप सर्जरी	बड़ौदा गुजरात	टोटल नी एण्ड हिप रिप्लेसमेंट तथा आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर	07.06.2017
27.	केयर हास्पिटल	नागपुर	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विसेस लाईक आईसीसीयू इनपेशनट केयर, इनवेस्टीगेशन लाईक टीएमटी, कलर डाप्लर, होल्टर मानीटरिंग एण्ड कैथलेब के उपचार हेतु	08.09.2017

28	चौधरी हास्पीटल फेक्चर एक्सीडेंट आर्थोपेडिक नर्सिंग होम	नागपुर	आर्थोपेडिक, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, फेक्चर एक्सीडेंट एण्ड स्पाईन सर्जरी एण्ड एसोसिएटेड इमरजेंसी	31.03.2018
29	श्रीकृष्णा हृदयालय एण्ड क्रिटिकल केयर सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बी.एम. वी. एवं पी.पी.आई.) एवं कार्डियोथेरोसिक सर्जरी म०प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-29/2016/55/2 दिनांक 27.04.2017 द्वारा संशोधित मान्यता प्रदान की गई है।	संशोधित मान्यता 04.05.2018 तक
30	आर्चिड मल्टीस्पेशलिटी हास्पीटल	जलगांव महाराष्ट्र	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी एण्ड एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विसेस एज वेल ऐज फार ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एण्ड आर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलाजी, रेडियोलाजी क्रिटिकल केयर से सम्बंधित उपचार	31.03.2018
31	प्लेटिना हार्ट हास्पीटल	नागपुर	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी से सम्बंधित उपचार हेतु	31.03.2019
32	ऑरेंजसिटी हास्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट	नागपुर	कार्डियोलाजी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बी.एम.वी. एण्ड पीपीआई एण्ड कार्डियोथेरोसिक, काम्पलेक्स आर्थोपेडिक ट्रामा सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एवं स्पाईन सर्जरी, ई.एन.टी. सर्जिकल प्रोसीजर्स इण्डोस्कोपिक ई.एन.टी. सर्जरी, कांकलीयर इम्प्लांट, नजल (nasal) सर्जरी इंकलूडिंग एफ.ई.एस.एस. एण्ड हेड एण्ड नेक (neck) सर्जरी, न्यूरोलाजिकल प्रोसीजर्स, एपीलेप्सी सर्जरी वरीयस न्यूरोलाजिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एण्ड ट्रीटमेंट हेतु	31.03.2018
33	गाजरे हास्पीटल न्यूरो सेंटर एण्ड वूमन्स क्लीनिक	जलगांव	न्यूरोलाजी बीमारी से सम्बंधित उपचार	31.03.2018

34	अपोलो हास्पीटल इन्टरनेशनल लिमिटेड	अहमदाबाद गुजरात	कार्डियोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, अंकोलाजी, पैथालाजी, मेडिकल गेस्ट्रोइन्ट्रोलाजी, आर्थोपेडिक्स, बोनमैरो ट्रांसप्लान्ट, रीनल ट्रांसप्लान्ट एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के उपचार हेतु	02.01.2019
35	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस	सिकन्दराबाद	हृदयरोग, हृदयरोग की सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, नीयोनटल सर्जरी, प्लास्टिक एण्ड एस्थेटिक सर्जरी, ट्रांसप्लान्ट सर्जरी	28.07.2017 <u>एन.ए.बी.एच.</u> <u>प्रमाण पत्र</u> <u>अनुसार</u>
36	रामकृष्ण केयर हास्पीटल	रायपुर छत्तीसगढ़	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोलाजी एण्ड न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गेस्ट्रोइन्ट्रोलाजी, गायनोकोलाजी, यूरोलाजी एण्ड नेफ्रोलाजी (Except Transplantation), मेडिसिन उपचार हेतु	31.03.2018 नगर निगम पंजीयन प्रमाण पत्र अनुसार
37	आर्टिमस हास्पीटल	गुडगांव (हरियाणा)	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियक सर्जरीज, न्यूरोलाजी-न्यूरोसर्जरी, यूरोलाजी एण्ड नेफ्रोलाजी विथ रीनल ट्रांसप्लान्ट, गेस्ट्रो- इन्ट्रोलाजी विथ लीवर ट्रांसप्लान्ट, मेडिकल अंकोलाजी, सर्जिकल अंकोलाजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, आर्थोपेडिक्स विथ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, हेमोटोलाजी अंकोलाजी विथ बोनमैरो ट्रांसप्लान्ट उपचार हेतु	31.03.2018 नगर निगम पंजीयन प्रमाण पत्र अनुसार
38	होप हास्पीटल	नागपुर	एडल्ट कार्डियक सर्जरी एण्ड एडल्ट कार्डियोलाजी एण्ड एसोसिएटेड इमरजेंसी, आर्थोपेडिकसर्जरी, डायलेसिस-पेरीटोनीयल एण्ड रीनल,पोस्ट डिलीवरी काम्पलीकेशनस, बर्न एण्ड पोस्ट बर्न कांटेक्चर, कान्गेनीटल मल्फारमेशन सर्जरी, कीमोथेरेपी एण्ड कैंसर सर्जरी उपचार हेतु	31.03.2018 नगर निगम पंजीयन प्रमाण पत्र अनुसार